भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 881
06 फरवरी, 2026 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण/परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार योजना

881. श्रीमती सागरिका घोषः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्ष 2019 से 2023 के बीच खाद्य प्रसंस्करण/परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार योजना (सीईएफपीपीसी) की अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी), जनजाति उप-योजना (टीएसपी) और पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) की श्रेणियों में निधि का अपर्याप्त उपयोग हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अपर्याप्त उपयोग के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि में स्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति, लंबित परियोजनाओं की संख्या और परियोजनाओं के पूर्ण होने की समय-सीमा क्या है; और

(घ) क्या योजना के आवेदन के समय लिए जाने वाले अप्रतिदेय आवेदन शुल्क के विकल्प के रूप में समावेशी वैकल्पिक प्रावधानों पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) और(ख) : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश भर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इकाइयां स्थापित करने को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2017 से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन / विस्तार (सीईएफ़पीपीसी) योजना लागू कर रहा है। यह योजना मांग आधारित है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन निधि की उपलब्धता और लागू सीईएफ़पीपीसी योजना दिशानिर्देशों के मानदंडों को पूरा करने के अध्यधीन समय-समय पर मंत्रालय द्वारा जारी अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के आधार पर ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। एससीएसपी, टीएसपी और एनईआर शीर्ष के अंतर्गत निधियां वार्षिक कुल बजटीय सहायता (जीबीएस) के एक निश्चित प्रतिशत के अनुसार आबंटित की जाती हैं। सीईएफ़पीपीसी योजना की एससीएसपी, टीएसपी और एनईआर श्रेणी के अंतर्गत वर्ष 2019-2020 से वर्ष 2022-2023 के दौरान, निधि के कम इस्तेमाल का कारण निधि जारी करने के लिए पात्र परियोजनाओं की संख्या पर्याप्त नहीं होना था । इन श्रेणियों के अंतर्गत खर्च का विवरण निम्नानुसार है : -

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	एससीएसपी		टीएसपी		एनईआर	
	संशोधित अनुमान *	वास्तविक व्यय **	संशोधित अनुमान *	वास्तविक व्यय **	संशोधित अनुमान *	वास्तविक व्यय **
2019-20	15	5.80	7.60	0	25.10	11.63
2020-21	25	16.73	9.00	0.81	12.30	12.30
2021-22	24	21.58	9	7.65	35	34.69
2022-23	30.25	12.18	9.99	0.36	35	20.19

** संशोधित अनुमान*
***वास्तविक व्यय*

(ग): वित्तीय वर्ष 2019-2020 से 2022-2023 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है: -

	कुल अनुमोदित	पूर्ण
एससीएसपी	27	19
टीएसपी	07	03
एनईआर	42	36
कुल	76	58

शेष18 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। दिनांक 22.01.2025 के वर्तमान सीईएफ़पीपसी योजना दिशानिर्देशों के मुताबिक परियोजनाओं को पूरा करने और परिचालित करने का समय अनुमोदन पत्र जारी होने की तारीख से 18 महीने है।

(घ): फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
